फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

र्थी		अप्रार्थीगण
रमल	बनाम	अमरचन्द वगैरह
		मुकदमा नं. 117/2020

करण : राजस्व प्रार्थना पत्र

रिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
.12.2020	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थी की आरे से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बावत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की पुश्तैनी भूमि मौजा डेह तहसील जायल में खसरा नं. 1369, 1701, 1703, 2714/1703, 2725/1701 के रूप में सामलाती खातेदारी में स्थित है जिसका भौतिक विभाजन नहीं हो रखा है। तथा मुतदाविया खेताय की भूमि के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक काश्तकार/खातेदार का हक हिस्सा निहित है तथा उक्त अविभाजित भूमि में प्रार्थी का माता फुलादेवी का 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी टिकमचन्द (प्रार्थी का भाई) अप्रार्थी संख्या 5 फुलादेवी से बैचान हस्तान्तरण कराने पर आमादा है। यदि खातेदारी की आड़ मुतदाविया खेताय की अविभाजित भूमि का बैचान हस्तान्तरण करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में, सुविधा का संतुलन भी व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के ग्राम डेह तहसील जायल के खसरा नं. 1369, 1701, 1703, 2714/1703, 2725/1701 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति, बनाये रखने बाबत् पाबंद फरमावे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड से मामला पृथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी पक्ष को होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे मौजा डेह तहसील जायल के खसरा नं. 1369, 1701, 1703, 2714/1703, 2725/1701 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 20.01.2021 को पेश हो। 20.01.2021 (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 20.1.21 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22-3-21 को पेश करें। 15/4/04 : वकील प्रार्थी उपस्थित। चूंकि प्रकरण हाजा से संबंधित मूल वाद सं. 167/2020 जरिये निर्णय खारिज हो चुका है। जिससे प्रा०पत्र को आगे चलाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रा०पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली	(हस्ताक्षर) P.T.O.

Scanned with CamScanner

तारिख हुक्म	... इनीशियल्स जज
	अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल.जिला नागौर